UPSH060008592022

<u>**न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, कक्ष संख्या– 35, शाहजहाँपुर।**</u>

मूलवाद संख्या– 591/2022,

अनूप कुमार अग्रवाल व अन्य बनाम श्रीमती गीता देवी व अन्य,

<u>दिनांक 19.07.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित। पत्रावली वादी के पैरवी हेतु नियत है। तदर्थ पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी विगत कई तिथि–यों से निरन्तर अनुपस्थित है। वादी द्वारा वाद पैरवी में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। वादी को पूर्व नियत तिथि पर पैरवी हेतु अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। आज भी बार–बार पुकार कराने पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उभयपक्षों की अनुपस्थिति में उक्त वाद आदेश 9 नियम 3 दी–वानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात पत्रावली अभिलेखागार प्रेषित की जाए।

(अम्बेश कुमार पाण्डेय),
अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
कोर्ट संख्या-35, शाहजहाँपुर।
J.O. Code- UP3445